अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कृष्णा व अन्य .... **बनाम** श्रीमती फातमा वगैरह ....

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.149 सन.2022(अजमेर)

2022 / 149

अमित कनौजिया

जुबैदा बनाम फातमा वगैरह (149 / 2022)

27.06.2022 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15.06.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उनवानी अपील सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 14.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से स्थगन आदेश दिनांक 14.01.2022 को आगे नही बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2022 को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 25.03.2022 नियत कर दी गई, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं कर एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 14.01.2022 को दिनांक 06.06.2022 तक बढ़ाया जा रहा हैं। सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को दरकिनार कर दिया की उनके समक्ष अपीलांट द्वारा वर्ष 2014 में उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये इकरार क्रय कर लिया तथा उक्त इकरारनामें के आधार पर अपीलांट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित किये जाने के निवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 द्वारा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उसमे असहमति जाहिर की किन्तु अपीलांट के हक को सुरक्षित करने की दृष्टि से एक मुख्त्यारनामा आम रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 29.01.2019 को निष्पादित किया गया उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जिसका जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर निर्णय करते किन्तु उनके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पर कोई भी अंतिम आदेश पारित नहीं कर, प्रकरण को लंबित कर दिया जिससे अपने विधिक हक एवं अधिकार से महरूम होने की विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश एक पक्षीय है। जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए में यह प्रावधान है कि एक पक्षीय स्थगन दिये जाने पर उसका निस्तारण 30 दिवस में किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त विधिक प्रावधानो के विपरीत जाते हुए विगत 05 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी एक रिकार्ड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है, जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार–बार निवेदन किये जाने के बावजूद भी एक पक्षीय स्थगन आदेश पर सुनवाई नहीं की जा रही है जिसे कारण प्रार्थीया द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील में चूँकि अंतिम आदेशिका दिनांक 18.05.2022 को आगामी पेशी दिनांक 06.06.2022 नियत कर दी गई जिस कारण प्रार्थीया के पास न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही है एवं यदि न्यायालय उक्त अपील को मियाद बाहर माने तो उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में निहित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जुबैदा .... बनाम फातिमा वगैरह ....

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.149 सन.2022(अजमेर)

लगातार

स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 14.01.2022 की क्रियान्विति स्थगित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में देरी के जो कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एक पक्षीय स्थगन आदेश दिये हुए करीब 05 माह हो चुके हैं और अभी तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. का निस्तारण नही किया गया हैं जबकि सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 (अ) में यह कानूनी प्रावधान दिया गया है कि जहाँ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जाता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई प्रार्थना पत्र में नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना है इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण कर उभयपक्ष को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के लिए ताफैसला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम तक पाबंद किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के लिए ताफैसला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियग तक पाबंद किया जाता है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होंने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर